कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/पवि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री मुरारी लाल, व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि 3 वाई, श्रीगंगानगर का स्थानांतरण राउमावि 8 बीजीडी विजयनगर,श्रीगंगानगर किया गया। श्री मुरारी लाल ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15410/2019 श्री मुरारी लाल बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15410/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री मुरारी लाल को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निरस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री मुरारी लाल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के सरवाईवल दर्द डिस्क की समस्या से पीडित होने, व्यक्तिगत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने व स्थानान्तरण स्थान 125 किमी की दूरी तथा परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं पर होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि ख्यालीवाला(11 एल.एन.पी) श्रीगंगानगर अथवा महात्मा गांधी रा.उ.मा.वि. हरिजन बस्ती, श्रीगंगानगर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण व मनन किया गया। याचिकार्थी के सरवाईवल दर्द डिस्क की समस्या से पीडित होने एवं प्रतिकुल पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए इनका समायोजन राउमावि 8 बीजीडी विजयनगर,श्रीगंगानगर से महात्मा गांधी रा.उ.मा.वि. हरिजन बस्ती, श्रीगंगानगर में व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

24/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को के/19–20 दिनांकः– 24 /12/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.........................।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..............।
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. ....।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर